तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/1/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 21/4/22 को पेश हो।	
21/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 10/8/22 को पेश हो।	
10/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र T.I. सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/8/22 को पेश हो।	
25/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रार्थना पत्र T.I. मे वकील पक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं दिनांक 18/6/2018 को जारी एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या 3493 रकबा 24 बीघा 01 बिस्वा के सह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित प्रकरणों में अभिनिर्धारित सिद्धांतों व 1964 RRD पेज 88 के अनुसार साधारणतया एक सह अभिधारी किसी [illegible] सह अभिधारी के [illegible] नहीं कर सकते है। अतः [illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। रिकार्ड सह खातेदार होने के कारण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 15:24:54 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी
	अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होता है। प्रथम दृष्टया एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील प्रार्थीगण, राजस्व रिकार्ड एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 16:24:54 IST
Reason: SelfAttested